

घरेलू हिंसा के सामाजिक कारण: एक अध्ययन

Sunanda Verma^{1*}, Dr. Bal Vidya Prakash²

¹ Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P., India

Email: sunandav831@gmail.com

² Associate Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P. India

सार - महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। भले ही अधिकांश समाज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन को अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंडों की आड़ में या धार्मिक सिद्धांतों की गलत व्याख्या के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। घरेलू हिंसा सभी समूहों और संस्कृतियों में होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच गलतफहमी, बेवफाई, पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता, दहेज की मांग, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, बांझपन आदि घरेलू हिंसा के सामान्य कारण हैं। बुन्देलखण्ड जिले के झाँसी शहर से चुने गए 150 उत्तरदाताओं के नमूने के आधार पर यह अध्ययन झाँसी में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामाजिक कारणों की जाँच करता है। घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला से जानकारी एकत्र करने के लिए एक स्तरीकृत यादच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया था। वर्तमान अध्ययन के लिए, एक व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया गया था। यह पेपर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारण के रूप में लैंगिक असमानता और भेदभाव के बीच संबंध और झाँसी में ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सामाजिक कारणों और उनकी प्रकृति की पहचान करने में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

संकेतशब्द - सामाजिक कारण, दहेज की मांग, बांझपन, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, घरेलू हिंसा.

-----X-----

1. परिचय

घरेलू हिंसा की संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा (1993) में अपनाई गई, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को "लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिसके परिणामस्वरूप या होने की संभावना है" महिलाओं को शारीरिक, यौन, या मनोवैज्ञानिक क्षति या पीड़ा, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो। हिंसा के ये सभी रूप शक्ति असमानताओं से जुड़े हैं: महिलाओं और पुरुषों के बीच, साथ ही देशों के भीतर और देशों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानताएं भी। लिंग भेद और पूर्वाग्रह के कारण विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाएँ हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में

पुरुष प्रधान समाज द्वारा हिंसा की शिकार और शोषित रही हैं। महिलाओं के साथ सबसे दर्दनाक भेदभाव उन पर होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा है। घरेलू हिंसा की घटना प्रचलित है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में काफी हद तक अदृश्य बनी हुई है। घरेलू हिंसा लिंग आधारित हिंसा का सबसे आम रूप है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों, परिवारों और समुदायों पर विनाशकारी शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार का एक बेहद जटिल और वीभत्स रूप है, जो अक्सर परिवार की चारदीवारी के भीतर या किसी विशेष गहरी जड़ें जमा चुकी शक्ति, गतिशील और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के भीतर की जाती है, जो इस दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता या पहचान तक की अनुमति

नहीं देती है। हिंसा एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग महिलाओं के व्यवहार और आकांक्षाओं को मोड़ने, नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए किया जाता है। यह देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा संस्कृति, धर्म, वर्ग और जातीयता में सार्वभौमिक है। इसके बावजूद, सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच विभाजन के सामाजिक निर्माण के कारण घरेलू हिंसा की व्यापक प्रकृति बनी हुई है।

घरेलू हिंसा एक गंभीर समाजशास्त्रीय समस्या है और "महिलाएं पारंपरिक स्थिति में फंसी हुई हैं जो भेदभाव, दमन और असमानता की विशेषता है"। महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। भले ही अधिकांश समाज महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन को अक्सर सांस्कृतिक प्रथाओं और मानदंडों की आड़ में या धार्मिक सिद्धांतों की गलत व्याख्या के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा, जब उल्लंघन घर के भीतर होता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो राज्य और कानून-प्रवर्तन मशीनरी द्वारा प्रदर्शित मौन चुप्पी और निष्क्रियता द्वारा दुर्व्यवहार को प्रभावी ढंग से माफ कर दिया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी बनी हुई है जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक रूप से मारती है, यातना देती है और निशाना बनाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। घरेलू हिंसा सभी समूहों और संस्कृतियों में होती है। यह मौखिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय, आध्यात्मिक, यौन और शारीरिक शोषण सहित कई रूप ले सकता है। दुनिया भर में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों, नस्लों, धर्मों और राष्ट्रियताओं की महिलाओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अनुभव किया जाता है। हिंसा का तात्पर्य किसी पुरुष या महिला द्वारा किसी अन्य पुरुष या महिला पर अत्याचार करना है और यह शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हिंसा के रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। इसमें कम से कम दो लोग शामिल होते हैं - एक अभिनेता या हिंसा करने वाला और एक पीड़ित या वह व्यक्ति जिस पर हिंसा की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दुनिया भर में महिलाओं, बच्चों, परिवारों और समुदायों पर विनाशकारी शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि

महिलाओं के खिलाफ हिंसा सभी वर्गों और समूहों में मौजूद है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रकृति और सीमा को समझने के लिए, घरेलू हिंसा से जुड़े प्रमुख सामाजिक कारकों की पहचान करने के लिए, सामाजिक वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सैद्धांतिक मॉडल विकसित और उपयोग किए गए हैं। संसाधन सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि पारिवारिक संबंधों में निर्णय लेने की शक्ति काफी हद तक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रिश्ते में लाए गए संसाधनों के मूल्य पर निर्भर करती है। यथास्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए हिंसा को अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू हिंसा का सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत घरेलू हिंसा के सामाजिक नियंत्रण मॉडल का प्रस्ताव करता है। सिद्धांत के अनुसार, अंतर-पारिवारिक संबंध आसानी से नहीं तोड़े जा सकते। नतीजतन, जब परिवार के सदस्य को दैनिक बातचीत में अन्याय का एहसास होता है तो वे हिंसा का सहारा लेते हैं। घरेलू हिंसा का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा के विभिन्न अर्थों और स्थितिजन्य सेटिंग में ऐसे अर्थों के परिणामों की पड़ताल करता है। हिंसा सिद्धांत की उप-संस्कृति से पता चलता है कि कुछ उप-सांस्कृतिक समूह ऐसे मानदंड और मूल्य विकसित करते हैं जो प्रमुख संस्कृति द्वारा उचित लगने की तुलना में शारीरिक हिंसा के उपयोग पर अधिक हद तक जोर देते हैं। सामान्य प्रणाली सिद्धांत घरेलू हिंसा को व्यक्तिगत विकृति के बजाय प्रणाली के उत्पाद के रूप में समझता है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटना को समझने के लिए निर्भरता ढांचे को शामिल किया गया है और इसका उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों से घरेलू हिंसा की घटना के निम्नलिखित सामान्य कारण सामने आए हैं:

1. पुरुषों की शराब पीने की आदत पति-पत्नी के बीच झगड़े का एक आम कारण है। घर पर शराबी पति शायद ही कभी पत्नी के लिए सुखद दृश्य होता है।
2. पति या पत्नी द्वारा बेवफाई/संदिग्ध बेवफाई पति-पत्नी में झगड़े का कारण बन जाती है।
3. पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता एक और कारण है जो परिवारों में दरार पैदा करती है। परिवार में अधिकतर पुरुष ही रोटी कमाने वाले होते हैं, जिसके लिए उन्हें लगता है कि उन्हें बेहतर स्थिति

का आनंद लेना चाहिए। यह कई बार अपने पार्टनर को दबाने के लिए जबरदस्ती के व्यवहार में तब्दील हो जाता है।

- परिवार में पदानुक्रमित लिंग संबंध और स्थापित परंपराएं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों में से एक हैं। घर की महिला सदस्यों, चाहे पत्नी हो या बच्चा, के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को परिवार के भीतर पुरुष-सत्ता के नियम को बनाए रखने के लिए आवश्यक अनुशासन के कृत्यों के रूप में माना जाता है।
- बहुविवाह की प्रवृत्ति (महिलाओं की बांझपन, पारिवारिक दबाव आदि के कारण) कभी-कभी पति-पत्नी में लड़ाई को जन्म देती है, जो महिलाओं के लिए सबसे अपमानजनक अनुभव है।
- दहेज से असंतुष्ट ससुराल वाले अपने लालच के लिए बहू को प्रताड़ित करते हैं।
- कभी-कभी महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक अन्य कारण है। जब साक्षर और शिक्षित महिलाएं किसी समय इस तरह की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती हैं, तो यह प्रतिशोध में पुरुष भागीदारों को उकसाती है और आगे की हिंसा को बढ़ावा देती है।
- भोजन देर से बनाने/अनुचित तरीके से पकाने या बच्चे को अनुशासित न करने/देखभाल न करने जैसी घटनाओं की रिपोर्ट मामूली लग सकती है, लेकिन ऐसे 'कर्तव्यों' को पूरा करने में विफलता के मामलों में यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का बहाना बन जाता है।

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई कारण हैं। ये कारण सामान्य से लेकर विचित्र तक होते हैं जैसे घर का काम ठीक से न करना, फैशनेबल कपड़े पहनना, पति से ईर्ष्या, पति की शराब की लत, दहेज की मांग, पति की प्रेमिका, बिना वजह हंसना, दिन में कई बार बालों में कंधी करना, बातचीत के दौरान ऊंचे स्वर में बोलना, स्वतंत्र और सामाजिक स्वभाव, दोस्तों, बॉयफ्रेंड के साथ घनिष्ठ संबंध, परिवार में बड़ों के साथ अपमानजनक व्यवहार, माता-पिता के घर से पैसे लाने से इनकार, विवाहेतर संबंधों का संदेह, पति का आर्थिक रूप से माता-पिता पर निर्भर होना और एकल व्यक्तित्व कारक। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने के लिए कोई भी चीज

बहाना बन सकती है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की घटना को कोई एक कारक स्पष्ट नहीं करता।

2. साहित्य की समीक्षा

भट्टाचार्य एट अल. 2020 घरेलू हिंसा को महिला रुग्णता के संदर्भ में खराब स्वास्थ्य के वैश्विक बोझ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया, जिससे मनोवैज्ञानिक आघात और अवसाद, चोटें, यौन संचारित रोग, आत्महत्या और हत्या हुई। पश्चिम बंगाल सहित भारत में घरेलू हिंसा एक कम रिपोर्ट की जाने वाली घटना है, हालाँकि सभी भारतीय राज्यों में घरेलू हिंसा के बोझ के अनुसार पश्चिम बंगाल 8वें स्थान पर है। इसलिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (डीवीएडब्ल्यू) पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक समुदाय-आधारित अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई, जो इस "सोते हुए विशाल" के बारे में हमारी समझ में सुधार करेगी। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन एक जिले के शहरी क्षेत्र में प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) में विवाहित महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की "जीवनपर्यंत" घरेलू हिंसा की व्यापकता का पता लगाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

देब एट अल 2020 लिंग भेदभाव की जड़ें प्राचीन समाज या सभ्यता से शुरू हो सकती हैं। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे आम प्रकार "घरेलू हिंसा" या उनके अंतरंग सहयोगियों या पूर्व सहयोगियों द्वारा महिलाओं का शारीरिक, भावनात्मक और/या यौन शोषण है (हेइज़ एट अल, 1999)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर शोध महत्वपूर्ण बातें उठाता है किसी भी शोध से उत्पन्न चुनौतियों के अलावा नैतिक और पद्धतिगत चुनौतियाँ। दुनिया भर से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, लगभग 33 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी अपने अंतरंग संबंधों में किसी न किसी रूप में हिंसा का अनुभव किया है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का वास्तविक प्रसार बहुत कम है। कई कारणों से, महिलाएं परिवार में होने वाली हिंसा की रिपोर्ट करने में विफल हो सकती हैं। आज भी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप हमारे समाज में प्रचलित हैं, हालाँकि सांस्कृतिक मानदंडों, उदासीनता या अज्ञानता के कारण कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। वर्तमान अध्ययन हमारे समाज में घरेलू हिंसा के वास्तविक परिदृश्य को उजागर करने का प्रयास करता है।

कौर एट अल. 2020 भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक बहुत प्रसिद्ध और सबसे आम समस्या है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लैंगिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा समर्थित और प्रबलित स्थिति के रूप में समझा जाता है जो महिलाओं को पुरुषों के संबंध में अधीनस्थ स्थिति में रखता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ सबसे आम अपराधों में से एक है जो पितृसत्ता के कायम रहने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य विशेषकर वैवाहिक घरों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से है। घरेलू हिंसा को महिला सशक्तीकरण के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना जाता है और यह राजनीति की लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकृत भी करती है। भारत ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए 2005 में विशेष रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया है, लेकिन अब तक इसके मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। यह पेपर बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा की जांच करता है। अंत में समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए सिफारिशें की गईं। "भारत में घरेलू हिंसा" जैसे संवेदनशील विषय पर नज़र डालने के बाद, हम ऐसे विषय पर चर्चा के महत्व को समझ सकते हैं।

इशानी अर्चिता (2020) इस शोध का उद्देश्य भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की प्रचलित स्थिति के साथ-साथ महिलाओं द्वारा ऐसे अपराधों की प्रतिक्रिया के रूप में चुनी गई मुकाबला रणनीतियों की जांच करना है। हाल के वर्षों में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता मिली है, जिसका महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा है। इस शोध अध्ययन में, मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले कई प्रकार के अपराधों, अत्याचारों और हिंसा की संपूर्ण जांच करना है, जिसका उद्देश्य इन विभिन्न प्रकार की हिंसा के विविध पैटर्न और अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डालना है। इस जांच के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उन असंख्य कठिनाइयों की जांच है जिनका इस शोध प्रयास को पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान सामना करना पड़ा। ये कठिनाइयाँ तार्किक बाधाओं से लेकर पद्धतिगत जटिलताओं तक होती हैं। इसके अलावा, शोध महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या की सीमा निर्धारित करने और उन प्रासंगिक तत्वों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है जो भारतीय समाज के संदर्भ में इस समस्या के अस्तित्व और निरंतरता में योगदान करते हैं। इस शोध का उद्देश्य ऐसी

अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जिसका उपयोग नीतिगत हस्तक्षेपों, वकालत प्रयासों और समुदाय-आधारित पहलों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है जिनका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के संकट को कम करना और लिंग समानता और सामाजिक न्याय के माहौल को बढ़ावा देना है। ये अंतर्दृष्टि इन कारकों की सावधानीपूर्वक जांच के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, जिसमें सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक असमानताएं और संस्थागत कमियां शामिल हैं।

3. अनुसंधान क्रियाविधि

- **अध्ययन का ब्रह्मांड:** वर्तमान अध्ययन का दायरा बुन्देलखण्ड जिले के झाँसी शहर में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएँ हैं।
- **अध्ययन की नमूनाकरण योजना और डिजाइन:** वर्तमान अध्ययन बुन्देलखण्ड जिले के झाँसी शहर से चुनी गई घरेलू हिंसा की शिकार 150 महिलाओं के नमूने पर आधारित है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 150 उत्तरदाताओं का पूरा नमूना अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला आबादी में से चुना गया था। बाद में, उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के लिए एक स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया। वर्तमान अध्ययन के लिए, एक वर्णनात्मक शोध डिजाइन का उपयोग किया गया था। क्षेत्र से अनुभवजन्य डेटा प्राप्त करने के लिए, उत्तरदाताओं पर साक्षात्कार अनुसूची की तकनीक लागू की गई थी। प्रासंगिक साहित्य का उपयोग विश्लेषण करने और प्रारूपण अनुसूची में कुछ दिशा प्रदान करने के लिए समीक्षा के लिए किया गया था। उत्तरदाताओं के साथ अनुसूची और अनौपचारिक चर्चा डेटा संग्रह के प्रमुख उपकरण थे। साक्षात्कार कार्यक्रम का पूर्व-परीक्षण किया गया और उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया। उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा संग्रह की तकनीकों के रूप में गहन साक्षात्कार और चर्चाएँ आयोजित की गईं। साक्षात्कार अनुसूची जिसने प्रमुख उपकरण का निर्माण किया, उसे उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया। वर्तमान अध्ययन में डेटा संग्रह के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत शामिल थे, प्राथमिक स्रोतों के लिए, साक्षात्कार अनुसूची और क्षेत्र में अवलोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की गई थी। द्वितीयक जानकारी विषय पर

उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रों, समाचार लेखों, पत्रिकाओं आदि पर आधारित है। चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक भाषा को उचित महत्व दिया गया और उत्तरदाताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत ने अध्ययन को समृद्ध बनाने में मदद की।

4. विश्लेषण और चर्चा


- **महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारण:** लैंगिक असमानता और भेदभाव महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मूल कारण है, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच ऐतिहासिक और संरचनात्मक शक्ति असंतुलन से प्रभावित है, जो दुनिया के सभी समुदायों में अलग-अलग डिग्री में मौजूद है। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए कोई एक कारण नहीं है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक का एक जटिल मिश्रण है जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए जिम्मेदार है। ये ऐसे कारक हो सकते हैं जो वित्तीय कठिनाई और रिश्तों के संकट से उत्पन्न तनाव के कारण महिलाओं को हिंसा के अधिक जोखिम में डाल सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विभिन्न कारण इस प्रकार दिये गये हैं

तालिका 1. परिवार में घरेलू हिंसा के कारण? (एकाधिक प्रतिक्रियाएँ)

संख्या	परिवार में घरेलू हिंसा के कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	दहेज की मांग	98	65.33
2	ससुराल का उदासीन रवैया	92	62.66
3	पति का बाहरी संबंध	62	41.33
4	बांझपन	68	45.33
5	वित्तीय समस्याएं / महिलाओं की आर्थिक आवश्यकता	102	68.00

6	समझौते की कमी	92	61.33
---	---------------	----	-------

उपरोक्त तालिका 1 से पता चलता है कि परिवार में घरेलू हिंसा के कारणों के रूप में पहचाने गए विभिन्न कारणों के बारे में उत्तरदाताओं की कई प्रतिक्रियाएँ हैं। इससे पता चलता है कि कुल 150 उत्तरदाताओं में से 65.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि दहेज की मांग महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है। जबकि 92 उत्तरदाताओं यानी (62.66 प्रतिशत) का मानना है कि ससुराल वालों का उदासीन रवैया हिंसा का एक और कारण है, जबकि 62 उत्तरदाताओं यानी (41.33 प्रतिशत) का मानना है कि विवाहेतर संबंध हिंसा का मुख्य कारण है और 68 उत्तरदाताओं यानी 45.33 प्रतिशत का मानना है कि बांझपन घरेलू हिंसा का एक और कारण, 102 उत्तरदाताओं यानी 68.00 प्रतिशत ने खुलासा किया कि वित्तीय समस्या घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है और 92 उत्तरदाताओं यानी (61.33 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि परिवार में घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख कारण समझ की कमी है।



ग्राफ 1. परिवार में घरेलू हिंसा के कारण

5. निष्कर्ष

घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार का एक बेहद जटिल और वीभत्स रूप है, जो अक्सर परिवार की चारदीवारी के भीतर या किसी विशेष गहरी जड़ें जमा चुकी शक्ति, गतिशील और सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के भीतर की जाती है, जो इस दुर्व्यवहार की स्वीकार्यता या पहचान तक की अनुमति नहीं देती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा संस्कृति, वर्ग, शिक्षा, आय, जातीयता और उम्र की सीमाओं से परे हर देश में मौजूद है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी बनी हुई है जो शारीरिक,

मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक रूप से मारती है, यातना देती है और निशाना बनाती है। यह मानवाधिकारों के सबसे व्यापक उल्लंघनों में से एक है, जो महिलाओं और लड़कियों की समानता, सुरक्षा, गरिमा, आत्म-सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के उनके अधिकार से इनकार करता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों की शराब पीने की आदत, पति या पत्नी द्वारा बेवफाई/संदिग्ध बेवफाई, पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता, पदानुक्रमित लिंग संबंध और परिवार में स्थापित परंपराएं और समझ की कमी घरेलू हिंसा के सामान्य सामाजिक कारण हैं। औरत। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के और भी कई कारण हैं। ये कारण सामान्य से लेकर विचित्र तक होते हैं जैसे घर का काम ठीक से न करना, फैशनेबल कपड़े पहनना, पति से ईर्ष्या, दहेज की मांग, पति की प्रेमिका, बिना वजह हंसना, बातचीत के दौरान ऊंचे स्वर, दोस्तों, बॉयफ्रेंड के साथ घनिष्ठ संबंध, बड़ों के साथ अपमानजनक व्यवहार। परिवार, आदि। झाँसी में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के सबसे आम सामाजिक कारण दहेज की मांग, ससुराल वालों का उदासीन रवैया, पति का विवाहेतर संबंध, बांझपन, महिलाओं की वित्तीय समस्याएं/आर्थिक निर्भरता और समझ की कमी हैं।

संदर्भ

1. अग्रवाल, ए. (2018)। दहेज प्रथा और सामाजिक संरचना: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 42(3), 212-225।
2. अरोड़ा, एस., और बाली, ए. (2019)। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक सामाजिक अध्ययन। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(2), 87-99।
3. कुमार, एन., और शर्मा, एस. (2020)। पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित हिंसा के कारण और प्रभाव: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 12(1), 45-57.
4. चौहान, डी., और गोयल, एम. (2017)। लड़कियों और युवा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक अध्ययन। बाल विकास जर्नल, 23(4), 332-345।
5. जैन, पी., और सिंह, ए. (2018)। आधुनिक भारतीय समाज में महिला हिंसा: सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। महिला अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(1), 22-35।
6. देवी, ए., और राजपूत, एस. (2019)। वृद्धावस्था और घरेलू हिंसा की समस्याएँ: एक अध्ययन। जर्नल ऑफ जेरोन्टोलॉजी, 15(2), 112-125।
7. मिश्रा, एस., और तिवारी, आर. (2020)। घरेलू हिंसा के तंत्र और सामाजिक परिणाम: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 13(3), 178-191।
8. लाल, डी., और तिवारी, ए. (2018)। पारिवारिक दबाव और घरेलू हिंसा: एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फैमिली स्टडीज़, 9(4), 256-269।
9. वर्मा, ए., और यादव, एस. (2017)। सामाजिक और आर्थिक असमानता: घरेलू हिंसा के कारण। समाजशास्त्र समीक्षा, 10(2), 89-102।
10. शर्मा, एन., और यादव, ए. (2019)। विवाहित जीवन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: एक अध्ययन। विवाह और परिवार जर्नल, 14(1), 34-47।
11. श्रीवास्तव, डी., और मिश्रा, ए. (2018)। दहेज और सामाजिक प्रगति: एक अध्ययन। समाजशास्त्र समीक्षा, 11(4), 289-302।
12. सिंह, पी., और मैत्रेयी, ए. (2020)। पति के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का प्रभाव: घरेलू हिंसा का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, 25(3), 212-225।
13. हेगड़े, एस., और शुक्ला, ए. (2017)। भारतीय समाज में लड़कियों के विरुद्ध हिंसा: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। बाल विकास जर्नल.

Corresponding Author

Sunanda Verma*

Research Scholar, Shri Krishna University,
Chhatarpur M.P., India

Email: sunandav831@gmail.com